

1	2	3
2. राज्य स्तर पर मानिटरिंग सैल		
1. संयुक्त आयुक्त (विशेष आर्थिक कार्यक्रम)	1	0.26
2. उपायुक्त (विशेष आर्थिक कार्यक्रम)	1	0.24
3. उपायुक्त (अनुसंधान, मूल्यांकन तथा प्रलेखन)	1	0.24
4. आणुलिपिक	3	0.30
5. चपरासी	3	0.18
योग	9	1.22

देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या

3657. श्री मूल चन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां चल रही हैं और उनके द्वारा कितने लोगों को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जा रही है ; और

(ख) क्या इन सहकारी समितियों पर क्रिया जाने वाला अन्य व्यय सरकार द्वारा उठाया जाता है या इसे उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर पूरा किया जाता है या इसे सरकार तथा उपभोक्ताओं द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या दी गई है। तथापि सभी उपभोक्ता भंडार गैर-सदस्यों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा खुदरा विक्री केन्द्र खोलने के लिए (क) अंश पूंजी अंशदान ; (ख) फर्नीचर तथा जुड़नार के लिए ऋण/ राज सहायता; और (ग) सीमांत राज सहायता के रूप में नियत प्रतिमान के आधार पर वित्तीय सहायता देती है। उसके बाद भंडारों से वाणिज्यिक आधार पर चलने की उम्मीद की जाती है।

विवरण

	थोक भण्डार		प्राथमिक भण्डार	
	संख्या	व्यक्ति सदस्य	संख्या	सदस्यता
1. आन्ध्र प्रदेश***	37	106392	950	408600
2. असम	21	25584	214*	67947*
3. बिहार	84	31630	1625	182431

* ये आंकड़े 1979-80 के हैं।

*** ये आंकड़े 1977-78 के हैं।

	शोक भंडार		प्राथमिक भंडार	
	संख्या	व्यक्ति सदस्य	संख्या	सदस्यता
4. गुजरात	29	104887	1002	318590
5. हरियाणा	32	72791	65	17893
6. हिमाचल प्रदेश	1	4517	76	11571
7. जम्मू तथा कश्मीर	6	4862	60**	12360**
8. कर्नाटक	23	24790	1520	586375
9. केरल	11	24346	251**	98558**
10. मध्य प्रदेश	41	57660	655	218605
11. महाराष्ट्र	76	20030	1750	550000
12. मणिपुर	5	655	130	6512
13. मेघालय	1	103	45	6964
14. नागालैंड	5	375	74	3628
15. उड़ीसा	36	26410	615	186953
17. पंजाब	16	121563	188	21690
17. राजस्थान	25	74115	685	148244
18. सिक्किम	1	332	10	520
19. तमिलनाडु	29	727148	845	58504
20. त्रिपुरा	1	892	78	7532
21. उत्तर प्रदेश	55	176017	1740	467395
22. पश्चिम बंगाल	28	18212	2320	533811
23. अंडमान तथा निकोबार	2*	5361*	35***	11000***
24. अरुणाचल प्रदेश	1	‡	51	6328
25. चंडीगढ़	1	7902	9	6809
26. दादर तथा नगर हवेली	—	—	1	487
27. दिल्ली	3	778504	438.	137176
28. गोवा दमण व दीव	2	10754	65	19998
29. लक्षद्वीप	1	59	15	20441
30. मिजोरम	1	‡	—	—
31. पांडिचेरी	2	12812	46	53501
योग:	576	2619053	15558	4696864

टिप्पणी: *ये आंकड़े 1979-80 के हैं।

**ये आंकड़े 1978-79 के हैं।

***ये आंकड़े 1977-78 के हैं।

‡केवल प्राथमिक भंडार के ही सदस्य हैं।

×गोहाटी सब डिविजन को छोड़कर।